मध्यप्रदेश शासन,
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक: एफ 2-121/2017/अ-तेहत्तर, **भोपाल, दिनांक** 16/11/2017

प्रति,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
समस्त विभाग,
मंत्रालय, भोपाल ।

विषय:- मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना,मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना एवं मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना

.....

वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 2-6/2014/अ-ग्यारह दिनांक 21.07.2014, सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम विभाग के आदेश क्रमांक एफ 2-2/2016/ अ-तेहत्तर, दिनांक 09.06.2016 एवं एफ 2-2/2016/अ-तेहत्तर, दिनांक 29.08.2016 को अधिक्रमित करते हुए (1) मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, (2) मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना,(3) मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना एवं (4) मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना का क्रियान्वयन निम्न निर्देशों के तहत किया जाना है :

1.1 **<u>मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना</u>**

योजना का लाभ केवल नवीन उद्यमों की स्थापना हेतु देय होगा। योजनान्तर्गत उद्यमी के प्रशिक्षण का भी प्रावधान होगा। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की अर्हता एवं वित्तीय सहायता संबंधी प्रावधान निम्नानुसार होंगे :-

(i) परियोजना लागत : रूपये 10 लाख से 2 करोड़ तक ।

(ii) पात्रता :

(क) आयु : 18-40 वर्ष ।

(ख) शैक्षाणिक योग्यता : न्यूनतम दसवीं कक्षा उत्तीर्ण ।

(ग) आय सीमा : कोई बंधन नहीं, परन्तु आवेदक का परिवार पहले से ही उद्योग/व्यापार क्षेत्र में स्थापित होकर आयकरदाता न हो।

(iii) वित्तीय सहायता :

(क) मार्जिनमनी सहायता : (अ) सामान्य वर्ग हेतु परियोजना के पूँजीगत लागत का 15 प्रतिशत। (अधिकतम रूपये 12 लाख)

(ब) BPL हेतु परियोजना के पूँजीगत लागत का 20

प्रतिशत। (अधिकतम रूपये 18 लाख)

(ख) ब्याज अनुदान : परियोजना के पूँजीगत लागत पर 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से तथा महिला उद्यमी हेतु 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से, अधिकतम 7 वर्षों तक। (अधिकतम रूपये 5 लाख प्रतिवर्ष)

(ग) गांरटी फीस (CGTMSE) : प्रचलित दर से अधिकतम 7 वर्षों तक ।

(iv) प्रशिक्षण : उद्यमियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था के संबंध में सम्पूर्ण योजना बनाकर वित्त विभाग की अनुमति से संबंधित विभागों द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

(v) पात्र परियोजनायें : उद्योग (विनिर्माण) एवं सेवा क्षेत्र की समस्त परियोजनायें जो CGTMSE अन्तर्गत बैंक ऋण गांरटी के लिए पात्र हैं।

(vi) योजना का क्रियान्वयन : इस योजना का क्रियान्वयन- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग एवं आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा किया आयेगा ।

1.2 मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना

योजना का लाभ केवल कृषक पुत्री/पुत्र द्वारा नवीन उद्यमों की स्थापना हेतु देय होगा । इस योजनान्तर्गत अर्हता एवं वित्तीय सहायता संबंधी प्रावधान निम्नानुसार होंगे :-

(i) परियोजना लागत : रूपये 10 लाख से 2 करोड़ तक ।

(ii) पात्रता :

(क) आयु : 18-40 वर्ष ।

(ख)शैक्षाणिक योग्यता : न्यूनतम दसवीं कक्षा उत्तीर्ण ।

(ग) आय सीमा : कोई बंधन नहीं, परन्तु आवेदक का परिवार पहले से ही उद्योग/व्यापार क्षेत्र में स्थापित होकर आयकरदाता न हो।

(घ) किसान पुत्री/पुत्र : किसान पुत्री/पुत्र वह होंगे जिनके माता, पिता या स्वयं के पास कृषि भूमि हो तथा वह आयकरदाता न हो।

(iii) **वित्तीय सहायता :**

(क)मार्जिनमनी सहायता : (अ) सामान्य वर्ग हेतु परियोजना के पूँजीगत लागत का 15 प्रतिशत। (अधिकतम रूपये 12 लाख)
(ब) BPL हेतु परियोजना के पूँजीगत लागत का 20 प्रतिशत। (अधिकतम रूपये 18 लाख)

(ख) ब्याज अनुदान : परियोजना के पूँजीगत लागत का 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से तथा महिला उद्यमी हेतु 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से, अधिकतम 7 वर्षों तक। (अधिकतम रूपये 5 लाख प्रतिवर्ष)

(ग) गारंटी फीस (CGTMSE) : प्रचलित दर से अधिकतम 7 वर्षों तक ।

(iv) **प्रशिक्षण** : उद्यमियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था के संबंध में सम्पूर्ण योजना बनाकर वित्त विभाग की अनुमति से संबंधित विभागों द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

(v) **पात्र परियोजनायें** : उद्योग (विनिर्माण) एवं सेवा क्षेत्र से संबंधित कृषि आधारित परियोजनाऐं-एग्रो प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग, कोल्ड स्टोरेज, मिल्क प्रोसेसिंग, केटल फीड, पोल्ट्री फीड, फिश फीड, कस्टम हायरिंग सेंटर, वेजीटेबल डीहाईड्रेशन, टिश्यू कल्चर, कैटल फीड, दाल मिल, राईस मिल, आईल मिल, फ्लोर मिल, बेकरी, मसाला निर्माण, सीड ग्रेडिंग/शॉर्टिंग व अन्य कृषि आधारित/ अनुषांगिक परियोजनाऐं।

(vi) **योजना का क्रियान्वयन** : इस योजना का क्रियान्वयन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य पालन विभाग एवं पशुपालन विभाग के द्वारा किया जाएगा।

1.3 **मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना**

योजना का लाभ केवल नवीन उद्यमों की स्थापना हेतु देय होगा। इस योजना के प्रावधान विभिन्न विभागों के लिए समान रहेगा। योजना की अर्हता एवं वित्तीय सहायता संबंधी प्रावधान निम्नानुसार होंगे :-

(i) **परियोजना लागत** : रूपये 50,000 से 10 लाख तक ।

(ii) **पात्रता :**

(क) आयु : 18-45 वर्ष ।

(ख)शैक्षाणिक योग्यता : न्यूनतम पांचवीं कक्षा उत्तीर्ण ।

(ग) आय सीमा : कोई बंधन नहीं, परन्तु आवेदक का परिवार पहले से ही उद्योग/व्यापार क्षेत्र में स्थापित होकर आयकरदाता न हो।

(iii) **वित्तीय सहायता :**

(क)मार्जिनमनी सहायता : (अ) सामान्य वर्ग हेतु परियोजना लागत का 15 प्रतिशत (अधिकतम रू. 1.00 लाख) ।

(ब) बीपीएल/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोडकर) /महिला/अल्पसंख्यक/नि:शक्तजन हेतु परियोजना लागत का 30 प्रतिशत (अधिकतम रू. 2 लाख) ।

(स)- अंतिरिक्त प्रावधान -

(i) विमुक्त घुमक्कड एवं अर्द्धघुमक्कड जनजाति को परियोजना लागत का 30 प्रतिशत (अधिकतम रु. 3.00 लाख) ।

(ii) भोपाल गैस पीड़ित परिवार के सदस्यों को परियोजना लागत पर अतिरिक्त 20 प्रतिशत (अधिकतम रू. 1.00 लाख) की पात्रता है ।

(ख) ब्याज अनुदान : परियोजना लागत का 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से तथा महिला उद्यमी हेतु 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से, अधिकतम 7 वर्षों तक।(अधिकतम रू. 25,000 प्रतिवर्ष)

(ग) गांरटी फीस(CGTMSE/ CGFMU) : प्रचलित दर से अधिकतम 7 वर्षों तक ।

(iv) **पात्र परियोजनायें** : उद्योग (विनिर्माण), सेवा एवं व्यवसाय की समस्त परियोजनायें जो CGTMSE/CGFMU अन्तर्गत बैंक ऋण गारंटी के लिए पात्र हैं।

(v) **योजना का क्रियान्वयन** : इस योजना का क्रियान्वयन- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग एवं विमुक्त घुमक्कड एवं अर्द्धघुमक्कड जनजाति कल्याण विभाग द्वारा किया जायेगा ।

1.4 <u>मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना</u>

यह योजना के अन्तर्गत समाज के सबसे गरीब वर्ग को कम लागत के उपकरण तथा /या कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराई जावेगी। योजना का लाभ केवल नवीन उद्यमों की स्थापना हेतु देय होगा। योजना की अर्हता एवं वित्तीय सहायता के प्रावधान निम्नानुसार होंगे:-

(i) **परियोजना लागत** : अधिकतम रूपये 50,000 ।

(ii) **पात्रता :**

(क) आयु : 18-55 वर्ष ।

(ख) शैक्षाणिक योग्यता : कोई बंधन नहीं ।

(ग) आय श्रेणी : रांष्ट्रीय खाद्यान मिशन के अन्त्योदय/प्राथमिक परिवार का सदस्य (पीडीएस कार्डधारी)

(iii) **वित्तीय सहायता :**

(क) मार्जिन मनी सहायता : (अ) सामान्य वर्ग के लिए परियोजना लागत का 15 प्रतिशत ।

(ब)बीपीएल/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ावर्ग(क्रीमीलेयर को छोडकर)/महिला/ अल्पसंख्यक/नि:शक्तजन/विमुक्त घुमक्कड एवं अर्द्धघुमक्कड जनजाति हेतु परियोजना लागत का 50 प्रतिशत, अधिकतम रू. 15,000 ।

(iv) **पात्र परियोजनायें** : केश शिल्पी, स्ट्रीट वेण्डर, हाथठेला चालक, साइकिल रिक्शा चालक, कुम्हार, आदि ।

(v) **योजना का क्रियान्वयन** : इस योजना का क्रियान्वयन- पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग एवं विमुक्त घुमक्कड एवं अर्द्धघुमक्कड जनजाति कल्याण विभाग द्वारा किया जायेगा ।

2. प्रत्येक विभाग द्वारा अपने विभागीय बजट में इन योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु प्रावधान किया जावे तथा तदनुसार ही लक्ष्य का निर्धारण किया जावे। विभागों का प्रयास रहे कि औसत प्रति हितग्राही पूंजी निवेश, योजनाओं की परियोजना लागत की अधिकतम राशि के 50 प्रतिशत से अधिक रहे।

3. योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रक्रियाओं का निर्धारण तथा योजना के प्रारूप का अनुमोदन संबंधित विभाग द्वारा प्रशासकीय अनुमोदन तथा वित्त विभाग की सहमति से किया जावे। इस हेतु पृथक से मंत्रि-परिषद् के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी ।

4. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग इन योजनाओं के समन्वय एवं क्रियान्वयन संबंधी आंकड़े एकत्र करने हेतु नोडल विभाग होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग

पृ. क्रमांक: एफ 2-121/2017/अ-तेहत्तर, भोपाल, दिनांक 16/11/2017

प्रतिलिपि-

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर ।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल ।
3. प्रमुख सचिव, (समन्वय) मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल ।
4. आयुक्त, जनसंपर्क मध्यप्रदेश, भोपाल।
5. निज़ सचिव, माननीय राज्य मंत्री जी ,सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्वतंत्र प्रभार), भोपाल।
6. उद्योग आयुक्त, उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं वांछित कार्यवाही हेतु।
7. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
8. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश ।
9. नियंत्रक शासन केन्द्रीय मुद्रणालय अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर कृपया उक्त परिपत्र को आगामी राजपत्र में प्रकाशित करवाकर उसकी 25 प्रतियां इस विभाग को भिजवाने का कष्ट करें।
10. समन्वयक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, अरेरा हिल्स, भोपाल ।
11. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क, मंत्रालय प्रकोष्ठ, भोपाल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

उप सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग